संख्याः 67/2020/2275/12-2-2020-60(3)2016 टी0सी0.1

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 09 दिसम्बर 2020

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को योजना में प्रतिभाग नहीं करने के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणी किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी। रबी 2020-21 मौसम में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 निर्धारित है।

2. उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर योजना का समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (**DLMC**) गठित है। योजना के प्राविधानों में ऋणी किसान की प्रतिभागिता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के आलोक में यह आवश्यक है कि जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तक करते हुए सभी बैंकों को अपने स्तर से यह निर्देशित किया जाय कि अपने से सम्बन्धित फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को जिनका के0सी0सी0 नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया है अथवा नया के0सी0सी0 बनाया गया है, उन सभी ऋणी किसानों को इस प्राविधान से अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाय। जिन ऋणी किसानों द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक बैंक को लिखित रूप से सूचित नहीं किया जायेगा, उन किसानों के के0सी0सी0 खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।

3. रबी 2020-21 मौसम में किसानों की प्रतिभागिता की अन्तिम तिथि में कुछ ही दिन अवशेष बचे हैं। इसलिए बैंक के स्तर से समय से प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी ऋणी किसानों को योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता के

सम्बन्ध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाय ताकि किसानों को योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अतः कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर विविध प्रचार-प्रसार सामग्री यथा प्रेस विज्ञप्ति, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से योजना के संशोधित प्राविधानों का जनहित में नि:शुल्क प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कृषकों के मोबाइल पर भी यह सन्देश भेजना सुनिश्चित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार कराया जाये व जनपद स्तर पद गठित कृषकों के वाट्स एप्प पर समूह के माध्यम से भी सन्देश भेजा जाये।

भवदीय,

(डा0 देवश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 67/2020/2275/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. डा0 आशीष कुमार भूटानी, अपर सचिव एवं सी.ई.ओ.(पी0एम0एफ0बी0वाई0), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. समस्त उप कृषि निदेशक/समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश को कड़ाई से अनुपालन करने हेतु।
3. मण्डलायुक्त को अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

वि प0 संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, क्रमांक 2020

विशेष सचिव

कृपया वि0प0 का संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. वि0प0 के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वर्ष 2020–21, 2022–23 के खरीफ व रबी मौसमों में प्रदेश में प्रधानमी फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। योजना ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों किसानों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है।

यह भी उल्लेख किया है कि योजना में यह प्राविधान है कि फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को, जिनका के0सी0सी0 नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया है अथवा नया के0सी0सी0 बनाया गया है, उन सभी ऋणी किसानों को इस प्रविधाान से अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाए। ऋणी किसानों द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक बैंक को लिखित रूप से सूचित नहीं करने पर बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जायेगा।

यह भी उल्लेख किया है कि रबी 2020–21 मौसम में किसानों की प्रतिभागिता की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 में कुछ ही दिन अवशेष बचे हैं इसलिए बैंक के स्तर से समय से प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी ऋणी किसानों को योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता के सम्बन्ध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाए ताकि किसानों को योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहलू सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

तद्नुसार योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये जाने विषयक आलेख्य प्रस्तुत है।

कृपया आलेख्य पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहें।

संख्याः **/12–2–2020**

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदे शासन,
सचिवालय, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेष।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेष।**

कृषि अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक– दिसम्बर, 2020

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी संषोधित दिषा–निर्देषों के अनुसार फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को योजना में प्रतिभाग नहीं करने के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना आवष्यक है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा ऋणी किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जायेगी। रबी 2020–21 मौसम में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर योजना का समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन सुनिष्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (DLMC) गठित है। योजना के प्राविधानों में ऋणी किसान की प्रतिभागिता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किये गये संषोधनों के आलोक में यह आवष्यक है कि जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तक करते हुए सभी बैंकों को अपने स्तर से यह निर्देषित किया जाय कि अपने से सम्बन्धित फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को जिनका के0सी0सी0 नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया है अथवा नया के0सी0सी0 बनाया गया है, उन सभी ऋणी किसानों को इस प्राविधान से अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाय। जिन ऋणी किसानों द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक बैंक को लिखित रूप से सूचित नहीं किया जायेगा, उन किसानों के के0सी0सी0 खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।

रबी 2020–21 मौसम में किसानों की प्रतिभागिता की अन्तिम तिथि में कुछ ही दिन अवषेष बचे हैं। इसलिए बैंक के स्तर से समय से प्राथमिकता पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी ऋणी किसानों को योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता के सम्बन्ध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाय ताकि किसानों को योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अतः कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर विविध प्रचार–प्रसार सामग्री यथा प्रेस विज्ञप्ति, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से योजना के संषोधित प्राविधानों का जनहित में निःषुल्क प्रचार–प्रसार कराना सुनिष्चित करें।

भवदीय,

(डा0 देवेष चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 आषीष कुमार भूटानी, अपर सचिव एवं सी.ई.ओ. (PMFBY), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि निदेषक, उत्तर प्रदेष।
3. उप कृषि निदेषक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेष।
4. जिला कृषि अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेष।

(अनिल ढींगरा)
विषेष सचिव।